प्रेस विज्ञप्ति

19 जनवरी, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक, हरियाणा ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया :–

"SYL पर मोदी सरकार द्वारा हरियाणा के हितों के साथ विश्वासघात"

"लोकदल– भाजपा ने सदैव SYL निर्माण पर हरियाणा को धोखा दिया"

"राजधर्म सबसे बड़ा– मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए"

"बीरेंद्र सिंह– अभय चौटाला SYL नहर बनवाएं या इस्तीफा दें।"

सतलुज–यमुना लिंक नहर हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। SYL के नीले पानी पर हरियाणा के कानूनी व संवैधानिक अधिकार पर 10 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतेहासिक निर्णय में अपनी मुहर लगा दी। हरियाणा के किसानों व कांग्रेस पार्टी का लंबा संघर्ष रंग लाया तथा SYL नहर निर्माण की जिम्मेदारी का स्पष्ट आदेश केंद्र सरकार को दिया गया।

कल 18 जनवरी, 2017 को एक और एतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की अकाली–भाजपा सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें SYL नहर निर्माण के निर्णय को स्थगित करने की दरख्वास्त दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SYL नहर निर्माण के अदालत के निर्णय को हर हालत में लागू किया जाएगा।

हरियाणा के हकों के साथ सीधे तौर से खिलवाड़ करते हुए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, श्री रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में दलील दी कि अदालत का निर्णय तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक हरियाणा एक नया मुकदमा दायर कर "पंजाब समझौता निरस्तीकरण कानून, 2004" को चुनौती नहीं देता। **मोदी सरकार का अदालत के समक्ष यह रुख़ सीधा सीधा हरियाणा के हितों के साथ विश्वासघात है तथा SYL नहर निर्माण पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को न लागू करने का एक भाजपाई षडयंत्र है।** इसका सीधा नतीजा यह होगा कि दशकों तक एक बार फिर पूरा मामला अदालती लड़ाई में उलझा रहेगा तथा हरियाणा को उसके पानी का अधिकार नहीं मिल पाएगा।

समय आ गया है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अब राजधर्म निभाएं।

अब खट्टर सरकार तथा केंद्र में हरियाणा की नुमाईंदगी करने वाले मोदी सरकार के मंत्रियों को भी साबित करना है कि उन्हें कुर्सी प्यारी है या हरियाणा के किसानों के हक। **बात–बात पर बतंगड़ बनाने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री बीरेंद्र सिंह व उनके अन्य सहयोगी मंत्री या तो मोदी सरकार से SYL नहर का निर्माण करवाएं या केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दें।**

हरियाणा के हितों को लेकर समझौता व खिलवाड़ करने में लोकदल व भाजपा एक ही 'थैली के चट्टे–बट्टे' रहे हैं। अब समय आ गया है कि वो अपनी दोगुली नीति को त्यागें और हरियाणा के हितों के लिए आगे बढ़कर कुर्बानी दें।

हरियाणा को उसके पानी का अधिकार सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमति इंदिरा गांधी ने 24.03.1976 को 'इंदिरा गांधी अवार्ड' जारी कर दिलाया था। एक बार फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के समक्ष पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला।

दोनों बार बादल परिवार से अपनी मित्रता निभाते हुए लोकदल तथा चौटाला परिवार ने इंदिरा गांधी अवार्ड व त्रिपक्षीय समझौते का विरोध किया। क्या यह हरियाणा के हितों के साथ सीधा सीधा कुठाराघात नहीं?

जब पंजाब उग्रवाद की आग में झुलस रहा था, तो 24.07.1985 को ऐतिहासिक 'राजीव–लोंगोवाल समझौता' हुआ, जिसके तहत 'इराडी कमीशन' का गठन हुआ। **उस समय फिर लोकदल तथा चौटाला परिवार ने 'इराडी कमीशन' का विरोध किया तथा हरियाणा के पानी के अधिकार की जानकारी लेने हेतु आए 'इराडी कमीशन' को काले झंडे तक दिखाए।** कांग्रेस सरकार ने इराडी कमीशन के सामने हरियाणा का पक्ष रखा तथा कमीशन द्वारा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी का अधिकार दिया गया।

सच यह है कि पिछली सात बार लगातार अकाली दल के साथ साझेदारी में चुनाव लड़ने वाले चौटाला परिवार व लोकदल को हरियाणा के हितों से कोई वास्ता नहीं। क्या लोकदल नेतृत्व व श्री अभय चौटाला इनमें से किसी ऐतिहासिक तथ्य को नकार सकते हैं।

आज फिर लोकदल नेतृत्व के इम्तिहान का समय है। कल 18 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा पंजाब की याचिका खारिज किए जाने के बाद या तो श्री अभय चौटाला अपने बाबा, सरदार प्रकाश सिंह बादल से नहर निर्माण की घोषणा करवाएं या फिर हरियाणा की विधानसभा से फौरन इस्तीफा दें।

हरियाणा के लोग भाजपा–लोकदल से नूराकुश्ती व हरियाणा के हितों के साथ किए जा रहे षडयंत्र का जवाब मांग रहे हैं।